

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]
No. 24]

दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 2013/माघ 19, 1934
DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2013/MAGHA 19, 1934

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 265
[N.C.T.D. No. 265

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 8 फरवरी, 2013

सं. फा. 03 (61)/2011/सू.प्र.नि./दि.प्रे.प्र.स./4229.—

अधिसूचना सं. फा.03(61)/2011/सू.प्र.नि./दि.प्रे.प्र.स./4037, दिनांक 5-11-2012 में अंशतः संशोधन करते हुए, दिल्ली के उप-राज्यपाल, वर्ष 2012—2014 दो वर्षों के लिए गठित दिल्ली प्रेस प्रत्यायन समिति में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दो सदस्यों के नाम क्रम संख्या 103 के पश्चात् जोड़ने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र. सं	नाम	संगठन का नाम	सदस्य
1.	श्री ब्रह्म प्रकाश दूबे	जी न्यूज	सदस्य
2.	श्री विश्वजीत झा	टोटल टी.वी.	सदस्य

दिल्ली के उप-राज्यपाल महोदय के नाम व आदेश से,
संतोष डी. वैद्य, निदेशक, सूचना एवं प्रचार

DIRECTORATE OF INFORMATION AND
PUBLICITY
NOTIFICATION

Delhi, the 8th February, 2013

No. F. 3(61)/2011/DIP/DPAC/4229.— In partial modification of notification No. F. 3 (61)/2011/DIP/DPAC/4037, dated 5-11-2012, the Lt. Governor, Delhi is pleased to add the following two names as member in the Delhi Press

Accreditation Committee after serial number 103 for a period of two years i.e. 2012-2014 with immediate effect :—

Sl. No.	Name	Name of Organisation	Member
1.	Shri Brahm Prakash Dubey	Zee News	Member
2.	Shri Vishwajeet Jha	Total T. V.	Member

By Order and in the Name of
Lt. Governor, NCT of Delhi,

SANTOSH D. VAIDYA, Director,
Information & Publicity

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 8 फरवरी, 2013

सं. फा. 23 (एस-13)/2013/विसस-4/विधायी.— दिनांक 7 फरवरी, 2013 को उप-राज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

“दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा 6 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, चौथी विधान सभा

का तेरहवाँ सत्र (बजट सत्र) बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से असेम्बली हाल, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में आहूत करता हूँ।

ह./-

तेजेन्द्र खन्ना,

उपराज्यपाल, दिल्ली।”

पी. एन. मिश्रा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th February, 2013

F. No. 23(S-13)/2013/LAS-IV/Leg.— The following order of the Lieutenant Governor, Delhi, dated the 7th February, 2013 is hereby published for general information :

ORDER

“In exercise of the power conferred upon me by Section 6(1) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No. 1 of 1992), I hereby summon the Thirteenth Session (Budget Session) of the Fourth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi to meet at Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054 on Wednesday, the 13th March, 2013 at 11:00 A.M.

Sd/-

TEJENDRA KHANNA,
Lieutenant Governor, Delhi”

P. N. MISHRA, Secy.

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 8 फरवरी, 2013

सं. फा. 3(9)/वित्त (क. एवं स्था.)/2009-10/खं. फा.-1/डी एस VI/130.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा(2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात् :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	कुलदीप सिंह सहरावत	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 8th February, 2013

No. F. 3(9)/Fin (T&E)/2009-10/PTF-1/dsvi/130.— In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officer, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

Sl. No.	Name of the Officer (Sh/Smt/Km.)	Appointed as
1	Kuldeep Singh Sehrawat	Value Added Tax Officer

सं. फा. 3 (9)/वित्त (क. एवं स्था.)/2009-10/खं. फा.-1/डी एस VI/131.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात् :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार की तिथि	पदनाम
1.	विनोद कुमार	27-11-2012 (F/N)	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	अमित कुमार	23-11-2012 (F/N)	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
3.	अविनाश कुमार	27-11-2012 (F/N)	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
4.	जोगिन्दर सिंह राना	16-11-2012 (F/N)	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
5.	समीर शर्मा	20-11-2012 (F/N)	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
6.	मृत्युंजय कुमार	27-11-2012 (F/N)	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव-VI (वित्त)